

Progressive & Proportional Taxes

कर की दरों के आधार पर कर को आनुपातिक या प्रगतिशील कहा जाता है। आनुपातिक कर (Proportional tax) व कर है जो सभी प्रकार के व्यक्तियों पर समान दर से लगाए जाते हैं तथा कर की दर सभी करदाताओं के लिए समान होती है।

Tax in which the rate of tax remains constant though the tax base charges are called proportional tax.

आनुपातिक कर में धनी तथा गरीब के बीच कर की दर के आधार पर विभेद नहीं किया जाता है। धनी तथा गरीब वर्ग के लोगों के लिए कर की दर समान होती है। आनुपातिक कर पर आय बढ़ने बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आनुपातिक कर के अन्तर्गत marginal rate of taxes में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए Tax function के आय के सापेक्ष में First derivation शून्य के बराबर हो जाता है। इसे इस नीचे के सूत्र से स्पष्ट कर सकते हैं -

$$\Delta \left(\frac{dR}{dy} \right) = 0 \quad \text{--- (1)}$$

यहाँ $R = \text{Tax Rate}$
 $y = \text{Income}$

इस प्रकार उपर के सूत्र के अनुसार जब कर की सीमान्त दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस कर को आनुपातिक कर कहते हैं।

प्रगतिशील कर (Progressive tax) वह कर है - जिसकी दर आय अथवा संपत्ति में वृद्धि होने के साथ ही

साथ घटती बढ़ती जाती है। इस प्रणाली में जिस व्यक्त की आय जितनी अधिक होती है उससे अधिक कर वसूल किया जाता है। इस प्रकार के करारों का भार चनी वर्ग पर अधिक पड़ता है और गरीब वर्ग पर कम। इसके कर की दरों को नियंत्रित करने के लिए आय को निम्न-मार्ग मार्गों में विभाजित किया जाता है।

The taxes in which the rate of tax increases as the tax base increases are called progressive taxes.

प्रगतिशील कर प्रणाली के अन्तर्गत कर के ह्रास-वृद्धि के चक्रात्मक परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप

Tax rate function (आय सापेक्ष में) का first derivative शून्य से अधिक होता है। इस सम्बन्धित सूत्र से स्पष्ट कर सकता है -

$$\Delta \left(\frac{dR}{dy} \right) > 0 \quad \text{--- (ii)}$$

Where $dy > 0$

प्रगतिशील कर के अन्तर्गत बढ़ती हुई आय से बढ़ती हुई आय में कर को प्राप्त किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि A progressive

tax increasing proportional of rising income. और इस प्रकार करारों के अन्तर्गत $\Delta T > \Delta Y$ की स्थिति रहती है। यहाँ $T = \text{tax}$, $Y = \text{Income}$

आनुपातिक तथा प्रगतिशील करों को निम्नोक्त चित्रों से स्पष्ट कर सकता है -




Figure - 1




Figure II

उपरोक्त चित्र I से स्पष्ट है कि आय के वर्गों के साथ साथ प्रगतिशील करारोपण प्रणाली के अन्तर्गत कर का दर बढ़ता रहता है जबकि आनुपातिक करारोपण के अन्तर्गत आय परिवर्तन के वातप्युस में कर का दर स्थिर है।

चित्र 2 से स्पष्ट है कि प्रगतिशील कर कोलेफ़ प्रणाली के अन्तर्गत चयनी कर, अपव्यय कर तथा गरीब कर की जनसंख्या के लिए भिन्न भिन्न दर की दर है। जबकि आयुक्तिक कर प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न आय वर्गों के लिए चयनी जनसंख्या के लिए कर की दर समान है।

प्रगतिशील कर को सैद्धांतिक आधार पर मिश्रित सिद्धांतों के समर्थन किया है।

① Sacrifice Theory

इस सिद्धांत के अनुसार करारोपण के न्याय की प्राप्ति तक होगी जब प्रत्येक करदाताओं को समान भाग करना पड़े। यह प्रगतिशील कर में ही संभव हो सकती है।

② Faculty Theory

इस सिद्धांत के अनुसार प्रगतिशील कर उचित है। क्योंकि यह आय स्तर संपत्ति के आधार पर तथा करदात प्रोत्पत्ता सम्बन्धी तथ्यों को जानने के बाद लगाया जाता है।

③ The Surplus Income Theory

इस सिद्धांत के अनुसार प्रगतिशील कर उचित है। क्योंकि समाज के विभिन्न वर्गों के surplus income को इसके द्वारा विभिन्न वर्गों राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए लिया जाता है।

④ The Social Importance Theory

इस सिद्धांत के अनुसार प्रगतिशील कर उचित है। क्योंकि इसके द्वारा समाज में न्यायपूर्ण कर के भार का वितरण होता है। प्रगतिशील कर का एक सामाजिक

महत्त्व है

⑤ The Social Political theory

यह सिद्धान्त भी प्रजातिशील कर का समर्थन करता है। क्योंकि इससे चयन एवं आय की असमानता इर होती है तथा सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव अनुच्छा पड़ता है।

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम इस सिद्धांत पर पहुँचते हैं कि आनुपातिक कर की तुलना में प्रजातिशील कर उत्तम है। किन्तु किसी भी अर्थव्यवस्था में संतोषजनक प्रणाली यह है जिसके अन्तर्गत प्रजातिशील तथा आनुपातिक दोनों ही करों का समुचित एवं संतोषजनक समन्वय किया गया है, भारतवर्ष में प्रजातिशील कर जैसे आय कर तथा आनुपातिक कर जैसे विक्री कर दोनों का समन्वय उत्तम कर प्रणाली है।

—x—

Dr Sandhya R